राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

योजनान्तर्गत

निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में

विद्यालय संस्था प्रधानों हेतु

मार्गदर्शिका

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग,

ओटीएस पुलिया के सामने, जयपुर–302017

RCSE

अनुक्रमणिका

क्र.सं.	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	उद्देश्य	1
2.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना : एक दृष्टि	1
3.	एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (U-DISE)	2
4.	योजना के प्रावधान	3
5.	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया	7
6.	कार्यकारी संस्था	8
7.	संस्था प्रधान के कर्तव्य एवं दायित्व	8
8.	निर्माण कार्यों की भुगतान प्रक्रिया	9
9.	विद्यालय सुदृढीकरण के कार्यो हेतु वित्तीय प्रावधान	10
10.	शिड्यूल ऑफ पॉवर	10
11.	परिशिष्ठ–1 निर्माण स्थल पर दीवार पर लिखे जाने वाले सूचना पट्ट का प्रारूप	11

12.	परिशिष्ठ–2 निर्माण कार्यो की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बिन्दु तथा तकनीकी मापदण्ड	12–18
13.	परिशिष्ठ–3 विद्यालय सुदृढीकरण के कार्यो हेंतु निर्धारित वित्तीय प्रावधान	19–20
14.	परिशिष्ठ–4 शिड्यूल ऑफ पावर	21–25
15.	परिशिष्ठ–5 अतिरिक्त कक्षा कक्ष, कम्प्युटर कक्ष, कला / क्राफ्ट / कल्चर कक्ष, समग्र विज्ञान प्रयोगशाला के लिए ड्राइंग प्लान का नमूना	26
16.	परिशिष्ठ–6 पुस्तकालय कक्ष के लिए ड्राइंग प्लान का नमूना : –	27
17.	परिशिष्ठ–7 कलर स्कीम का विवरण	28
18.	परिशिष्ठ–8 बाहरी कलर स्कीम	29
19.	परिशिष्ठ–9 भवनों पर लिखे जाने वाले लॉगो व योजना के नाम का प्रारूप	30
20.	परिशिष्ठ–10 बालकों के लिए शौचालय की ड्रांइग	31
21.	परिशिष्ठ–11 बालक शौचालय का त्रि–विमीय चित्र	32

22.	परिशिष्ठ–12 बालिका शौचालय की ड्रांइग	33
23.	परिशिष्ठ–13 बालिका शौचालय का त्रि–विमीय चित्र	34
24.	परिशिष्ठ–14 उपयोगिता प्रमाण–पत्र	35

1. उद्देश्य :

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा राज्य के माध्यमिक और उच्च विद्यालयों में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत निर्माण कार्य करवाये जा रहे है। निर्माण कार्यों में पारदर्शिता, कार्यों के सुचारू निष्पादन एवं गुणवत्ता बनाये रखने के उद्देश्य से संस्था प्रधानों हेतु मार्गदर्शिका तैयार की गई है। यह मार्गदर्शिका संस्था प्रधानों को विद्यालय के निर्माण कार्यों के सम्पादन में सुव्यवस्थित एवं सुस्पष्ट कार्य प्रणाली अपनाने में सहायक साबित होगी।

2. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजना : एक दृष्टि

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 का एक मुख्य उद्देश्य माध्यमिक स्तर की शिक्षा में बालिकाओं व समाज के पिछड़े वर्गों की सहभागिता को बढ़ाना है। इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भारत सरकार व विभिन्न राज्य सरकारें प्रयास कर रही हैं किन्तु सर्व शिक्षा अभियान सहित प्रारंभिक शिक्षा के अन्य कार्यक्रमों की सफलता के कारण प्रारंभिक शिक्षा पूर्ण करने वाले समाज के कमजोर एवं पिछड़े वर्गों के विद्यार्थियों की बढ़ती हुई संख्या के कारण माध्यमिक स्तर की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने के इच्छुक बालक–बालिकाओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही हैं, इस बढ़ती हुई विद्यार्थी संख्या को गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने के उचित अवसर प्रदान करने हेतु माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने अपने स्वतंत्रता दिवस 2007 के राष्ट्रीय उद्बोधन में माध्यमिक शिक्षा की पहुँच के सार्वजनीकरण की योजना SUCCESS (Scheme for Universalization of Access at Secondary Stage) प्रारंभ करने की घोषणा की थी।

माननीय प्रधानमंत्री महोदय की SUCCESS योजना की घोषणा की क्रियान्वित हेतु 2008 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान नाम से एक नई योजना को प्रारंभ किया गया। इस योजना के प्रमुख उद्देश्य निम्न प्रकार हैं:–

- राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनीकरण करना।
- प्रत्येक बस्ती के 5 किमी. की दूरी में माध्यमिक स्तर की विद्यालय तथा 7 से 10 किमी. की दूरी में उच्च माध्यमिक स्तर की विद्यालय की सुविधा उपलब्ध करवाना।
- सन् 2017 तक माध्यमिक शिक्षा में नामांकन को 100 प्रतिशत के लक्ष्य तक पहुँचाना।
- वर्ष 2020 तक माध्यमिक स्तर पर 100 प्रतिशत ठहराव के लक्ष्य को प्राप्त करना।

- समाज के पिछड़े वर्गों (यथा अनुसूचित जाति, जनजाति अन्य पिछड़े वर्ग व शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अल्पसंख्यक) बालिकाओं व विशेष आवश्यकता वाले विद्यार्थियों तक गुणवत्ता पूर्ण माध्यमिक शिक्षा की सुविधा उपलब्ध करवाना। राजस्थान में इस परियोजना का क्रियान्वयन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के तहत 03 सितम्बर, 2009 को पंजीकृत 'राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद्' द्वारा करवाया जा रहा है।

3. एकीकृत जिला शिक्षा सूचना प्रणाली (U-DISE)

किसी भी योजना की सफलता, योजना निर्माण हेतु प्रयुक्त ऑकड़ों की विश्वसनीयता व शुद्धता पर निर्भर करती है। इसी तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए माध्यमिक शिक्षा से संबंधित योजनाओं में सही व सटीक ऑकड़ों का उपयोग सुनिश्चित करने हेतु प्रत्येक वर्ष संदर्भ तिथि 30 सितम्बर के आधार पर एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (U-DISE) के तहत डाटा केप्चर फार्मेट (DCF) भरवाकर ऑकडों का संकलन कर योजना का निर्माण किया जाता है।

डाटा केप्चर फार्मेट (DCF) को विद्यालयों के संस्था प्रधानों द्वारा समस्त स्टाफ एवं विद्यालय विकास एवं प्रबंधन समिति के सदस्यों के सहयोग से स्वयं भरा जाता है। प्रत्येक विद्यालय में DCF दो प्रतियों में भरा जाता हैं। जिसमें से एक प्रति विद्यालय द्वारा भविष्य में संदर्भ के रूप में उपयोग हेतु में रखी जाती है तथा दूसरी प्रति फीडिंग हेतु जिला कार्यालय को दी जाती है।

विद्यालयों से प्राप्त डाटा केप्चर फार्मेट (DCF) के आधार पर जिला स्तर पर डाटा फिडिंग कार्य उपरान्त विद्यालयवार आवश्यक सुविधाओं के गेप का आंकलन किया जाता है।

यू–डाइस में संस्था प्रधान का योगदान

यू–डाइस प्रपत्र संस्था प्रधान के देख–रेख में भरा जाता है। संस्था प्रधान प्रत्येक वर्ष यू–डाइस प्रपत्र भरते समय पिछले वर्ष के यू–डाइस प्रपत्र की विद्यालय प्रति को आवश्यक रूप से साथ रखें तथा नये वर्ष के प्रपत्र में सूचनायें पिछले वर्ष के प्रपत्र के आधार पर आवश्यक संशोधन सहित भरें। संस्था प्रधान प्रपत्र को जिला कार्यालय को भेजने से पूर्व उसमें भरी गई विद्यालय प्रबंधन, केटेगरी, प्रकार, भौतिक संसाधन, जाति/आयु/कक्षा/वर्ग वार नामांकन, अध्यापकों का संस्थापन की सूचनाओं की आवश्यक रूप से जांच कर लें, गलती होने पर विद्यालय प्राप्त होने वाले अनुदान से वंचित रह सकता है।

- **यू–डाइस प्रपत्र भरने के पश्चात् संस्था प्रधान द्वारा किये जाने वाले कार्य**

विद्यालय के संस्था प्रधान द्वारा यू डाइस प्रपत्र भरकर जिला स्तर पर उपलब्ध कराने पर विद्यालय की सूचनाओं का साफ्टवेयर में इन्द्राज किया जाता है। साफ्टवेयर में इन्द्राज होने के बाद सूचनाओं की जॉच करना आवश्यक है।

जब विद्यालय की सूचनाओं का इन्द्राज हो जावें तो संस्था प्रधान जिला कार्यालय से सम्पर्क कर विद्यालय का स्कूल रिपोर्ट–कार्ड प्राप्त कर लें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि यू–डाइस प्रपत्र में भरी गई सूचनाओं का साफ्टवेयर में सही इन्द्राज हो गया है। रिपोर्ट–कार्ड के आधार पर यदि कोई त्रुटि हो तो आवश्यक रूप से संशोधित करावें।

4. योजना के प्रावधान

योजनान्तर्गत माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में संरचनात्मक विकास कार्यों हेतु निम्न लिखित ईकाइयां स्वीकृत की जा सकती है :–

1. नवीन/क्रमोन्नत विद्यालय (4/2 कक्षा–कक्ष के लिए)		
क्र. सं.	**कार्य**	**ईकाई संख्या**
i.	4 कक्षा–कक्ष (कक्षा IX व X के लिए प्रत्येक कक्षा में 2 सेक्शन)	4
ii.	2 कक्षा–कक्ष (कक्षा IX व X के लिए प्रत्येक कक्षा में 1 सेक्शन)	2
iii.	विज्ञान प्रयोगशाला	1
iv.	प्रयोगशाला उपकरण	1
v.	प्रधानाध्यापक कक्ष	1
vi.	कार्यालय कक्ष	1
vii.	कम्प्यूटर कक्ष	1
viii.	कला/क्राफ्ट/कल्चर कक्ष	1
ix.	पुस्तकालय कक्ष	1
x.	शौचालय ब्लॉक	1
xi.	पानी की सुविधा	1

2. मौजूदा माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में सुदृढ़ीकरण कार्य		
i.	4 कक्षा–कक्ष (कक्षा IX व X के लिए प्रत्येक कक्षा में 2 सेक्शन)	4
ii.	2 कक्षा–कक्ष (कक्षा IX व X के लिए प्रत्येक स्कूल में 1 सेक्शन)	2
iii.	विज्ञान प्रयोगशाला	1
iv.	प्रयोगशाला उपकरण	1
v.	कम्प्यूटर कक्ष	1
vi.	कला/क्राफ्ट/कल्चर कक्ष	1
vii.	पुस्तकालय कक्ष	1
viii.	शौचालय ब्लॉक	1
ix.	पानी की सुविधा	1

ईकाईयों की स्वीकृति हेतु निर्धारित मानदंड

ईकाई	भौतिक संरचना हेतु मानदंड
नवीन/क्रमोन्नत विद्यालय (उच्च प्राथमिक से माध्यमिक विद्यालय)	• SSoR दर पर दो सैक्शन/एक सैक्सन विद्यालय हेतु स्वीकृति • कक्षा IX में 70 विद्यार्थियों के नामांकन समतल क्षेत्रों में एवं 50 विद्यार्थियों का नामांकन पहाडी/दुर्गम क्षेत्रों में तथा 5 कि.मी. क्षेत्र में विद्यालय सुविधा उपलब्ध नहीं होने पर। • उच्च प्राथमिक विद्यालय के क्रमोन्नयन को प्राथमिकता। • 2 सेक्शन विद्यालय को प्राथमिकता। • आश्रम विद्यालयों को प्राथमिकता।
कक्षा कक्ष/अतिरिक्त कक्षा कक्ष	• प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय मे कम से कम 4 कक्षा कक्ष, 2 सैक्शन प्रति कक्षा IX एवं X के लिये। • प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय मे कम से कम 2 कक्षा कक्ष, 1 सैक्शन विद्यालय के लिये। • राजकीय विद्यालय के स्वयं के भवन होने पर ही अनुदान।

	• SSoR दर पर निर्माण कार्य की स्वीकृति एवं फर्नीचर हेतु प्रतिकक्ष 1.00 लाख का प्रावधान । • कक्षा कक्ष/विद्यार्थी अनुपात 1 : 40 • कक्षा कक्ष साइज 7 X 7 वर्ग मीटर एवं 35 प्रतिशत अतिरिक्त (सर्कूलेसन एरिया 20% एवं दीवार एरिया 15 प्रतिशत)। • पिलिन्थ एरिया 66 वर्ग मीटर
विज्ञान प्रयोगशाला	• SSoR दर पर स्वीकृति का प्रावधान • प्रति माध्यमिक विद्यालय मे भौतिक, रसायन एवं गणित विषय के लिये एक समग्र प्रयोगशाला। • कमरे का साईज 7 **X** 7 वर्ग मीटर एवं 35 प्रतिशत अतिरिक्त (सर्कूलेसन एरिया 20 प्रतिशत एवं दीवारों का एरिया 15 प्रतिशत)पिलिन्थ एरिया 66 वर्ग मीटर • राजकीय विद्यालय के स्वयं के भवन होने पर ही अनुदान। निर्माण लागत मे फर्नीचर, फिक्शचर एवं फिटिंग सम्मिलित। • विज्ञान प्रयोगशाला में प्लेटफार्म, स्टोरेज स्पेस एवं कप बोर्ड का प्रावधान
प्रयोगशाला उपकरण	• प्रति प्रयोगशाला 1 लाख का प्रावधान। • एक बार ही अनुदान। • प्रयोगशाला उपलब्ध वाले विद्यालयों के लिये। • जिन विद्यालयों मे प्रयोगशाला उपलब्ध किन्तु पर्याप्त उपकरण नही है।
कम्प्युटर कक्ष	• SSoR दर पर स्वीकृति का प्रावधान • कमरे का साईज 7 **X** 7 वर्ग मीटर एवं 35 प्रतिशत अतिरिक्त (सर्कूलेसन एरिया 20 प्रतिशत एवं दीवारों का एरिया 15 प्रतिशत)पिलिन्थ एरिया 66 वर्ग मीटर • राजकीय विद्यालय के स्वयं के भवन होने पर ही अनुदान। निर्माण लागत मे फर्नीचर, फिक्शचर एवं फिटिंग सम्मिलित। • हार्ड वेयर, कम्प्यूटर्स एवं सॉफ्टवेयर ICT स्कीम के अन्तर्गत उपलब्ध कराये जायेगें।

कला/ क्राफ्ट/कल्चर कक्ष	• SSoR दर पर स्वीकृति का प्रावधान • कमरे का साईज 7 X 7 वर्ग मीटर एवं 35 प्रतिशत अतिरिक्त (सर्कूलेसन एरिया 20 प्रतिशत एवं दीवारों का एरिया 15 प्रतिशत)पिलिन्थ एरिया 66 वर्ग मीटर • राजकीय विद्यालय के स्वयं के भवन होने पर ही अनुदान।
पुस्तकालय कक्ष	• SSoR दर पर स्वीकृति का प्रावधान। • कमरे का साईज 7 X 10.6 वर्ग मीटर एवं 35 प्रतिशत अतिरिक्त (सर्कूलेसन एरिया 20 प्रतिशत एवं दीवारों का एरिया 15 प्रतिशत)पिलिन्थ एरिया लगभग 100 वर्ग मीटर। • निर्माण मद में फर्नीचर का प्रावधान सम्मिलित। • निर्माण में कप बोर्ड एव स्टोरेज स्पेस बनाये जावेगें। • निर्माण की लागत में फर्नीचर, आलमारी, रेक, फिक्शचर एवं फिटिंग की लागत सम्मिलित।
टॉयलेट ब्लॉक पेयजल व्यवस्था	• SSoR दर पर स्वीकृति का प्रावधान • बालक–बालिकाओं के लिये पृथक–पृथक टॉयलेट • विशेष योग्यजन के लिए उपयुक्त इकाई। • ड्रेनेज सिस्टम सुचारू होना आवश्यक। • राजकीय विद्यालय के स्वयं के भवन होने पर ही अनुदान। • प्रति विद्यालय में स्वच्छ एवं उपयुक्त जल व्यवस्था हेतु SSoR दर पर स्वीकृति का प्रावधान। • राजकीय विद्यालय के स्वयं के भवन होने पर ही अनुदान।
मेजर रिपयेर कार्य	• वास्तविक तकमीने के आधार पर एक सेक्शन वाले विद्यालय में 2 लाख एवं 2 सेक्शन वाले विद्यालय में 4 लाख का अधिकतम प्रावधान। • सरकारी विद्यालय भवन न्यूनतम 10 वर्ष पुराना होना आवश्यक है।

माईनर रिपेयर	• प्रतिवर्ष 25000/- रुपये प्रति विद्यालय। • विद्यालय के स्वयं के सरकारी पक्के निर्मित भवन हेतु। • निम्नलिखित कार्य मरम्मत में शामिल किये जा सकते हैं: 1. विद्यालय भवन 2. शौचालय 3. रंग-रोगन कार्य 4. खेल मैदान 5. विद्यालय परिसर 6. विद्युत फिटिंग्स 7. कम्प्यूटर व्यवस्था 8. सेनेट्री व अन्य फिटिंग्स 9. फर्नीचर एवं फिक्चर्स इत्यादि।

5. राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत कार्यों की स्वीकृति प्रक्रिया

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत प्रत्येक वर्ष विद्यालयवार यू-डाईस प्रपत्र भरवाकर आंकडों का संकलन कर विद्यालयों में संरचनात्मक विकास के लिए अतिरिक्त आवश्यक भौतिक सुविधाओं का समग्र आंकलन एक साथ किया जाता है। इन उपलब्ध यू-डाईस डाटा के आधार पर जिले का वार्षिक कार्य योजना एवं बजट प्लान तैयार किया जाता है। जिसका अनुमोदन जिला स्तरीय समिति द्वारा किया जाता है। जिला स्तरीय समिति द्वारा अनुमोदन उपरान्त प्रस्तावों को राज्य स्तर पर भिजवाया जाता है। जिलों से प्राप्त प्रस्तावों को राज्य स्तर पर संकलित कर, राज्य स्तरीय प्रस्तावों को योजना में सम्मिलित करते हुए, राज्य की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट तैयार किया जाता है। राज्य की वार्षिक कार्य योजना राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद की निषादक समिति में अनुमोदन पश्चात् प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड (पी.ए.बी.) में स्वीकृति हेतु मानव संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार को प्रस्तुत की जाती है। प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड द्वारा विद्यालयवार आवश्यक निमार्ण कार्यों का अनुमोदन किया जाता है। इसके आधार पर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा विद्यालयवार निर्माण कार्यों की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी की जाती है।

6. कार्यकारी संस्था

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत समस्त निर्माण कार्य विद्यालय के स्तर से सम्पादित कराये जा रहे है। इसमें संस्था प्रधान की भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण है।

7. संस्था प्रधान के कर्तव्य एवं दाायित्व

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत विद्यालयों में सम्पादित करवाये जा रहे निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में संस्था प्रधान के दायित्व निर्धारित किये गये है। संस्था प्रधान निर्माण कार्यो को निर्धारित समयावधि में गुणवत्तापूर्वक सम्पादित करवाने हेतु उत्तरदायी है। इस हेतु संस्था प्रधान सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों/संवेदक इत्यादि से आवश्यक समन्वय स्थापित करे।

संस्था प्रधान के कर्तव्य एवं दायित्व निम्नानुसार हैः–

1. भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
2. निविदा स्वीकृति के 3 दिवस में कार्य आदेश जारी करना।
3. संवेदक से अनुबंध करना तथा अनुबंध के अनुसार समस्त कार्यवाही सम्पादित करना।
4. कार्यादेश जारी करने के 3 दिवस में संवेदक को भूमि उपलब्ध कराना।
5. कार्यादेश जारी करने के 7 दिवस में कार्य का तकनीकी अधिकारी से ले–आउट दिलवाना।
6. मूल निविदा, अनुबन्ध, कार्यादेश, बिल, चालान एवं कार्य पत्रावली विद्यालय स्तर पर संधारित करना।
7. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व कार्य का निर्धारित प्रारूप में सूचना–पट्ट स्थापित करवाना। **(परिशिष्ठ–1)**
8. निर्माण कार्य निर्धारित तकनीकी मापदण्डानुसार गुणवत्तापूर्वक निर्धारित समय सीमा में सम्पादन कराना। **(परिशिष्ठ–2)**
9. गुणवत्तापूर्वक कार्य सम्पादित करने हेतु संवेदक को पाबंद करना। निर्माण कार्य में कमी या दोष पाये जाने पर तत्काल संवेदक को नोटिस जारी कर नोटिस की प्रति जिला परियोजना समन्वयक, अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, सहायक अभियंता , कनिष्ठ अभियंता को देते

हुए संबंधित सहायक अभियंता व कनिष्ठ अभियंता को दूरभाष पर सूचित कर कमी दूरूस्त करवाकर समय पर कार्य पूर्ण करवाना।

10. संवेदक द्वारा फिर भी कार्य में कमी रखी जावें तो राज्य मुख्यालय पर अधीक्षण अभियंता/अधिशाषी अभियंता अभियंता को लिखित में सूचित करना।
11. बिल प्राप्ति के 3 दिवस में संवेदक को भुगतान करना।
12. कटौतियॉ चालान द्वारा संबंधित विभाग मे जमा कराना।
13. आयकर, वैट, रॉयल्टी इत्यादि के सम्बन्ध में संवेदक को निर्धारित प्रारूप में प्रमाण पत्र जारी करना।
14. उपयोगिता प्रमाण पत्र भुगतान करने के 3 दिवस में निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत करना। **(परिशिष्ठ–14)**
15. निर्माण कार्यो के सम्बन्ध में नियमित कैश बुक संधारित करना।
16. कार्य पूर्ण होने के पश्चात Defect Liability Period के दौरान दोष पाये जाने पर संवेदक को नोटिस जारी कर दोष निवारण कराना।
17. Defect liability period की समाप्ति पर सहायक अभियंता की अनुशंषा पर संवेदक को प्रतिभूति राशि (Security Deposit) लौटाना।
18. निर्माण कार्य पूर्ण होने के 7 दिवस में निर्मित भवन को प्राप्त कर परिसम्पति रजिस्टर में दर्ज करना।

8. निर्माण कार्यों की भुगतान प्रक्रिया

- निर्माण कार्यों का माप कनिष्ठ अभियंता द्वारा माप पुस्तिका में इन्द्राज करने के उपरांत बिल जिलों में कार्यरत सहायक अभियंता को प्रस्तुत किया जाता है। सहायक अभियंता द्वारा निर्धारित नॉर्मस के अनुरूप जांच उपरांत बिल रमसा कार्य हेतु जिलों में नियुक्त कनिष्ठ लेखाकार /लेखाकार/सहायक लेखाधिकारी को लेखा परीक्षण हेतु प्रस्तुत किया जाता है। उनके द्वारा लेखा परीक्षण उपरांत बिलों में नियमानुसार कटौतियॉ कर हस्ताक्षर उपरान्त बिल तीन दिवस में सम्बन्धित विद्यालय को भुगतान हेतु भिजवाया जाता है। सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाचार्य/प्रधानाध्यापक द्वारा बिल पारित कर हस्ताक्षर कर सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार को चैक

द्वारा तीन दिवस में भुगतान किया जाता है एवं कटौतियों को चालान द्वारा बैंक में जमा करवाया जाता है।

- प्रतिभूति राशि (Security Deposit) को Defect liability period पूर्ण होने के पश्चात सम्बन्धित फर्म को जिलो में कार्यरत सहायक अभियंता की रिपोर्ट के आधार पर वापस लौटाया जाता है।
- निर्माण कार्यों के अंतिम बिल के भुगतान से पूर्व सक्षम अधिकारी से Extra/Excess Item की स्वीकृति आवश्यक है।
- निर्माण कार्यों के अंतिम बिल का भुगतान शिड्यूल ऑफ पॉवर के अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करने के पश्चात ही किया जाता है।
- बिल एवं अन्य समस्त रिकॉर्ड सम्बन्धित विद्यालय द्वारा संधारित किया जाता है।

9. विद्यालय सुदृढीकरण के कार्यो हेतु वित्तीय प्रावधान

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत विद्यालयों मे वर्षवार विभिन्न पी.ए.बी में स्वीकृत विद्यालय सुदृढीकरण के कार्यो हेतु वित्तीय प्रावधान **परिशिष्ठ 3** के अनुसार निर्धारित है। निर्धारित सीमा से अधिक व्यय बिना सक्षम स्वीकृति के किसी भी स्थिति में नहीं किया जावें।

10. शिड्यूल ऑफ पॉवर

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के आदेश क्रमांक 2728 दिनांक 27.06.13 द्वारा निर्माण कार्य हेतु शिड्यूल ऑफ पावर जारी किया गया है, जिसमें निर्माण कार्यो के सम्पादन हेतु शक्तियॉ प्रदत्त की गई है, जो **परिशिष्ठ–4** के अनुसार है।

निर्माण स्थल पर दीवार पर लिखे जाने वाले सूचना पट्ट का प्रारूप

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत विद्यालयों में करवाये जा रहे विद्यालय सुदृढीकरण/ मेजर रिपेयर के निर्माण कार्यों को पूर्ण पारदर्शिता से सम्पादित कराने हेतु कार्य स्थल के समीपस्थ विद्यालय के पुराने भवन की दीवार पर कार्य शुरू करने से पूर्व पेन्ट से लिखकर प्रदर्शित किया जावें।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, राजस्थान		
योजना का वर्ष	:	
विद्यालय का नाम	:	
स्वीकृत कार्यों का नाम *	: **1** अतिरिक्त कक्षा कक्ष	
	: **2** विज्ञान प्रयोगशाला	
	: 3	
संवेदक का नाम	:	
कार्य आदेश की राशि	:	
कार्य प्रारम्भ करने की तिथि	:	
कार्य पूर्ण करने की संभावित तिथि	:	
सम्पर्क:		
प्रधानाचार्य	:श्री	फोन/मो. न. ....
अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक	:श्री	फोन/मो. न. ....
सहायक अभियंता	:श्री	फोन/मो. न. ....
कनिष्ठ अभियंता	:श्री	फोन/मो. न. ....
टोल फ्री न.	: **18001806267**	
कार्य के सम्बन्ध में शिकायत होने पर उपरोक्त फोन/मोबाईल नम्बरों पर शिकायत करें।		
*स्वीकृत इकाईयों का विवरण स्वीकृति अनुसार लिखें।		

परिशिष्ट–2

निर्माण कार्यो की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए बिन्दु तथा तकनीकी मापदण्ड

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से संचालित राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत विद्यालयों में करावाये जा रहे निर्माण कार्यो के गुणवत्तापूर्वक सम्पादन हेतु संस्था प्रधानो द्वारा प्रत्येक मद में ध्यान दिये जाने वाले तकनीकी बिन्दु निम्नानुसार हैः–

1. **स्थान चयन–**

   निर्माण कार्य हेतु स्थान का चयन विद्यालय भवन के भविष्य में विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए पूर्व निर्मित भवन के साथ–साथ हो। चयनित स्थान वर्षा जल का भराव क्षेत्र में नहीं हों।

2. **निर्माण का जमीन पर चित्रांकन करना (ले–आउट)–**

   भवन निर्माण कार्य कनिष्ठ अभियंता से ले–आउट प्राप्त कर ही कार्य प्रारम्भ करवाया जावें। स्वीकृत निर्माण कार्य के मानचित्रों के अनुसार चारों दिशाओ में पत्थर के पिलर गाड कर चूने से चित्रांकन (ले–आउट) किया जावें। भूखण्ड पर एक बैन्चमार्क (सामान्यतः ईट के छोटे आयताकार कॉलम के आकार में) का निर्माण किया जा सकता है, जिसके आधार पर दीवार, छत आदि का लेवल लिया सकता है तथा ठीक ढंग से लेवल स्थानान्तरित भी किया जा सकता है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत स्वीकृत विद्यालय सुदृढीकरण कार्यो की ईकाईयो के ड्राइंग का नमूना प्लान **परिशिष्ठ – 5,6,10,12** पर संलग्न है। भवन का ऐलिवेशन का निर्धारण करते समय पूर्व निर्मित विद्यालय के भवन को ध्यान में रखा जावें।

3. **नींव खुदाई कार्य–**

   भवन की नींव स्वीकृत तकमीने डिजाईन के अनुसार खोदी जावें। नींव की खुदाई, सही तौर पर मानचित्र में दी गई लम्बाई–चौडाई तथा गहराई में की जायेगी, किनारे साहुल में होने चाहिये। अन्तिम तल को परखना चाहिये। नींव में कठोर सतह आने के पश्चात ही नींव भराई का कार्य किया जावें। यदि मिट्टी अभी भी ढीली है तो कुछ और गहरी खुदाई सक्षम तकनीकी अधिकारी की स्वीकृति से की जा सकती है। अन्तिम तल को दुरमुट से कूटना भी चाहिये।

   नींव के तल को समान लेवल में खुदाई के समय ही तैयार किया जावें। भूमि के लेवल मे यदि अन्तर हो तो आवश्यकतानुसार नींव के तल में ऑफसेट (offset) दिया जा सकता है। जिसका निर्धारण सहायक अभियंता के सुझाव के अनुसार किया जावें।

4. **नींव का कंक्रीट कार्य–**

नींव में पूरी चौडाई में सीमेंट कंक्रीट 6 ईचं मौटाई में (1–सीमेन्टः 4 मोटी बजरीः 8 गिट्टी 40 एम.एम. मोटी) के अनुपात में डाली जावें। सीमेंट कंक्रीट मिश्रक मशीन से तैयार की जावें। कंक्रीट का कोम्पेक्शन प्लेटवाईब्रेटर/5.5 किलो भार के दुरम्मुट से हाथो–हाथ की जावेगी। कुटाई के बाद कम से कम 7 दिन तराई की जावेंगी।

5. **नींव की चुनाई –**

- नीव में चिनाई हेतु प्रयोग में लाये जाने वाले पत्थर कच्चे नहीं होने चाहिये, संरचना कठोर व किनारे तीखे होने चाहिये।
- चिनाई में जोड आपस में कटने चाहिये व हैडर स्टोन (चिनाई की पूरी चौडाई में लगने वाले पत्थर) प्रत्येक में रद्दे में 3 फीट से 4 फीट दूरी पर अवश्य लगाये। यदि पूरी चौडाई के बराबर लम्बा पत्थर उपलब्ध न हो तो दो लम्बे पत्थरो की कैची बनाकर लगाना चाहिये।
- चिनाई का कार्य सीमेंट मसाला 1:6 (1–सीमेंट : 6–बजरी) अनुपात में किया जावें। चिनाई के कार्य में रद्दा 1¼ फीट से अधिक उचाई का एक साथ नहीं लगाये।
- पत्थर चिनाई में दो पत्थरों के बीच में 30 मि.मी. से अधिक जगह नहीं होनी चाहिये। बीच मे मसाला इस प्रकार भरा जाना चाहिये ताकि कोई जगह खाली नहीं रह जाये।
- यदि चिनाई ईट में की जा रही है तो नींव के रद्देकी चौड़ाई के अनुसार किसी भी बॉन्ड में चिनाई करनी चाहिये तथा एक रद्देके ऊपर दूसरे रद्देको ऐसे रखा जाना चाहिये कि ईटो के जोड़ एक दूसरे के ऊपर न आये।

6. **पिलिंथ/कुर्सी तल –**

- भू–तल से कुर्सी तल कम से कम 2 फीट ऊचाई पर रखा जावें।
- कुर्सी तल अधिक रखने से निर्माण कार्य में अनावश्यक वृद्धि होती है। कुर्सी तल निर्धारण में तकनीकी स्वीकृति, उपलब्ध धनराशि एवं स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखा जावें। कुर्सी तल का निर्धारण तकनीकी अधिकारी द्वारा किया जावेंगा।

7. **डी.पी.सी. कार्य –**

डी.पी.सी का कार्य कुर्सी लेवल पर 15 सें.मी. मोटाई में आर.सी.सी. M20 ग्रेड ;1 सीमेन्ट : 1 ½ मोटी बजरी : 3 स्टोन ग्रीट 20 एम.एम. नोमिनल साईज) में डाली जावेंगी। निडिल वाईब्रेटर से कॉम्पेक्शन किया जावें।

8. **अधिरचना चिनाई (Superstructure)–**

विद्यालयों में अधिरचना की चिनाई पत्थर/ईंट से तकनीकी स्वीकृति के अनुसार की जावेंगी।

1. **पत्थर की चिनाई** – पत्थर की ढ़ोका चिनाई में पत्थर 15 से.मी. से छोटा नही होना चाहिये। यदि पत्थर के कोने आदि निकले है तो हथोडे से तोडकर इस प्रकार लगाने चाहिये कि उन दोनो के जोड 30 मि.मी. से अधिक न हो। सामने की सतह में पत्थर के पच्चड़ आदि नहीं दिखाई देने चाहिये। पत्थर की चिनाई में कम से कम 25 प्रतिशत पत्थर 2/3 गहराई में रखे जाने चाहिये तथा प्रति 1 मीटर दूरी पर पूरी गहराई में यानि हैडर स्टोन होने चाहिये। चिनाई का कार्य 1:6 सीमेंट मसाले (1–सीमेंट : 6–बजरी) में किया जावें। चिनाई के कार्य में रद्दा 1¼ फीट से अधिक उचाई का एक साथ नहीं लगाये। तीनों ही दिशाओं में जोड़ो को तोडा जाना चाहिये। प्रत्येक रद्दे की ऊपरी सतह मसाले से भरकर समतल नहीं करनी चाहिये वरन् ऊबड–खाबड जैसी है वैसी ही छोड़ देनी चाहिये। तराई कम से कम 7 दिन तक करनी चाहिये।
2. **ईंट का कार्य :–**

   विद्यालयों में निर्माण कार्यो में ईंटे प्रथम दर्जे की उपयोग में ली जानी चाहिए।

   1. चिनाई में ईटों को प्रयोग मे लेने से पूर्व पानी से तर करें।
   2. चिनाई करते समय प्रत्येक रद्दे पर सूत बांधे तथा अगला रद्दा लगाने के लिये साहुल का प्रयोग करें।
   3. ईंट की चिनाई करते समय, ईंटो में खलीता वाले हिस्से को ऊपर की तरफ रखा जाएगा तथा प्रत्येक रद्दें पर खड़े जोड कटने चाहिये।
   4. चिनाई इंगलिश बॉन्ड मे करें एवं खडे जोड नहीं रहें।
   5. चिनाई के कार्य में सीमेंट बजरी मसाला 1:6 (1–सीमेंट: 6–बजरी) अनुपात का लगाया जावें।
   6. ईंटों के मध्य जोड 12 एम.एम. से अधिक मोटे नहीं हो।
   7. कार्य की कम से कम 7 दिन तराई करनी चाहियें।

प्रथम दर्जे की ईंटो की पहचान वर्गीकरण मापने के साधन के अभाव में निम्न प्रकार से की जा सकती है :–

- दो ईंटो को बजाने से धातु जैसी आवाज आये।
- जिसके सभी किनारे साफ और सीधे हों।
- सतह साफ हों।
- दरारे न हो।
- नाखून से उस पर निशान न पड़े।
- यदि 24 घण्टे उसे पानी में डुबाया जाये तो अपने भार का 20 प्रतिशत से अधिक पानी न सोखें।

चिनाई कार्य में बीम के नीचे कम से कम 3 इंच मोटाई की पत्थर की बेडप्लेट 3 फीट लम्बाई में अवश्य लगाई जावें।

9. **बरामदे के खम्में** –

बरामदे के खम्में की चिनाई में प्रत्येक 2 फीट की ऊचाई पर खम्मे की चौडाई के अनुसार पत्थर की पट्टी के टुकडे (Bed plate) 3 इंच मोटाई के लगाये। खम्भों के लिये सीमेंट बजरी मसाला 1:4 (1–सीमेंटः 4–बजरी) का प्रयोग में ले। खम्में पत्थर की चिनाई में कम से कम 30 X 45 सेमी. तथा ईट चिनाई में 35 x 45 सेमी. साईज के होने चाहिए। खम्भो की डिजाईन की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सहायक अभियंता की होगी, वे बरामदे की साईज के अनुसार डिजाईन में आवश्यक होने पर खम्भो की साईज बढा सकते है। 2 खम्भो के बीच की दूरी 8 फीट से ज्यादा नहीं रखें।

10. **लिंटल** –

- दरवाजे व खिडकियों पर लिंटल बीम कम से कम 6 इंच मोटाई की आर.सी.सी. M20 ग्रेड (1 सीमेन्ट : 1 ½ मोटी बजरी : 3 स्टोन ग्रीट 20 एम.एम. नोमिनल साईज) में डाला जावे। बरामदे की लिंटल बीम की मौटाई तकनीकी स्वीकृति के अनुसार रखी जावें।
- खिडकियों पर ऑपनिंग से 6 इंच दोनो तरफ 2 फीट चौडाई का छज्जा लगाया जावें। छज्जे के नीचे प्लास्टर में टपका बनाया जावें।
- सरिये सहायक अभियंता द्वारा प्रस्तुत की गई डिजाईन के अनुसार आई.एस.आई. मार्क के होने चाहिए।

11. **आरसी.सी. के कार्य** –

आरसी.सी. के कार्य में कंक्रीट डाले जाने से पहले शटरिंग को चैक कर लेना चाहिए। उसके तल का लेवल तथा शटरिंग की स्थिरता चेक करना आवश्यक है। शटरिंग के नीचे की बल्लिया खडी हो, मजबूत हो एवं कठोर तल पर टीकी हों। कंक्रीट को मिश्रक मशीन से मिलाकर ही डाले। सीमेंट कंक्रीट का मिश्रण M20 ग्रेड (1 सीमेन्ट : 1 ½ मोटी बजरी : 3 स्टोन ग्रीट 20 एम.एम. नोमिनल साईज) होना चाहिये। कंक्रीट का काम्पेक्शन हेतु बीम में निडिल बाईब्रटर व छत में प्लेट वाईब्रेटर प्रयोग में लावें। आर.सी.सी. डालते समय निम्नलिखित बातों का विशेष ध्यान रखें।

1. छत की आरसी.सी डालने से पूर्व बिजली के तारों हेतु पीवीसी कन्डयूट पाईप (न्यूनतम 25 एम. एम व्यास), पंखों के बॉक्स/हुक, डीप जंक्शन बॉक्स इत्यादि अवश्य लगाये।
2. आरसी.सी. छत के कार्य में सरियें सहायक अभियंता द्वारा प्रस्तुत की गई डिजाईन के अनुसार आई.एस.आई. मार्क के होने चाहिए।
3. आरसी.सी. के कार्य में सरियों का कवर निम्नानुसार रखें :–

- छत में–20 एम.एम., बीम में–20 एम.एम, कॉलम में–40 एम.एम।
- छत पर तराई हेतु क्यारी बनाकर पानी कम से कम 14 दिन तक भरकर रखें।

12. **छत पर ग्रेडिंग का कार्य** –

- छत पर सीमेंट कंक्रीट की ग्रेडिंग करने से पूर्व अच्छी तरह से सफाई करें एवं सीमेंट कंक्रीट मिक्स (1 सीमेन्ट : 2 मोटी बजरी : 4 स्टोन ग्रीट) में करें। जिसका ढलान 1:60 से तथा टूटी हुई गलैज टाईलस से ग्रेडिंग की स्थिति में ढलान 1:72 से कम नहीं हों। छत व दीवार के जोड पर सीमेंट कंक्रीट गोला 3x3 इंच साईज में बनायें। छत पर तराई हेतु क्यारी बनाकर पानी कम से कम 10 दिन तक भरकर रखें।
- रैन वाटर पाईप्स पी.वी.सी. के आई.एस.आई. मार्क 4 इंच व्यास के लगाये जावें तथा छत पर पाईप के इनलेट पर सीमेंट कंक्रीट का 45x45 सेमी. का खुर्रा बनाया जावें। पाईप्स के निकास पर पी.वी.सी. शू लगावें।

13. **फर्श का कार्य–**

कमरे व बरामदे के फर्श के नीचे 6 इंच मोटाई मे सूखे पत्थर का खरंजा लगावे व उसके ऊपर सीमेंट कक्रीट 1:4:8 (1–सीमेन्टः 4 मोटी बजरीः 8 गिट्टी 40 एम.एम. मोटी ग्रीट), 4 इंच मोटाई में डाले। इस पर कोटा स्टोन (या G-schedule के अनुसार स्वीकृत) फर्श का कार्य करें। जिसे सीमेंट बजरी मसाला 1:6 (1–सीमेंटः 6–बजरी) में लगाये साथ में 4 इंच स्कर्टिंग दीवार के सहारे चारों तरफ बरामदे व कमरे में लगाये। कमरों व बरामदे में ½ इंच का ढलान बाहर की तरफ रखें। कोटा स्टोन फर्श की घिसाई व पॉलिस पर विशेष ध्यान दिया जायें।

14. **सीढ़ियों का निर्माण कार्य–**

सीढ़ियों की चौडाई (tread) 1 फीट व ऊचाई (riser) 6 इंच रखें। सीढ़ियों की लम्बाई 5 फीट रखी जावे। सीढ़ियों की ऊचाई (riser) 6 इंच से अधिक आवश्यक होने पर कनिष्ठ अभियंता के निर्देशानुसार कार्य करें। सीढ़ियों का निर्माण कोटा स्टोन से करें।

15. **प्लास्टर का कार्य –**

- प्लास्टर करने से पहले सभी जोडो का मसाला कम से कम 1 से 2 से.मी. कुरेद लेना चाहिए तथा उसके बाद प्लास्टर करना चाहिए।
- सिलिंग प्लास्टर 6 एम.एम मोटाई में सीमेंट बजरी मसाला 1:3 (1 सीमेन्ट : 3 बजरी) के अनुपात में।
- ईट की दीवारों पर अन्दर की तरफ प्लास्टर 12 एम.एम. मोटाई में व बाहर की तरफ 20 एम.एम. मोटाई में सीमेंट बजरी मसाला 1:6 (1 सीमेंट : 6 बजरी) में किया जावें।
- पत्थर की चिनाई में प्लास्टर 20 एम.एम. मोटाई में सीमेंट बजरी मसाला 1:6 (1 सीमेंट : 6 बजरी) में किया जावें।
- आरसी.सी. व चिनाई के जोड पर प्लास्टर में 10x10 एम.एम. का ग्रूव बनाया जावें। प्लास्टर कार्य सूत व साहुल (प्लम्ब) में होना चाहिये तथा धारे एकदम सीधी होनी चाहिये।
- प्लास्टर की तराई कार्य करने के 24 घंटे बाद से कम से कम 7 दिन तक करनी चाहिए।

16. **खिडकी दरवाजे** –

- भवन में खिडकिया कुर्सी तल से 3 फीट उचाई पर लगाये जाये। सेक्शन विडों अन्दर खुलती हुई व मच्छर जाली लगावें। खिडकीयों पर सेफ्टी बार 12 एम.एम. चौकोर सरिये की 5 इंच की दूरी पर लगाये।
- दरवाजों की चौखट 35x35x5 एम.एम. की एंग्ल/टी सेक्शन की या पत्थर की लगाई जाये। दरवाजे के कब्जे अच्छी किस्म के लगावें। पल्ले में 1 एम.एम मोटाई की एम.एस. शीट (चद्दर) लगाई जावें। पल्ले के पीछे तिरछी एम.एस. पत्ती 25x3 एम.एम. की तथा लोक रेल हेतु एम.एस. पत्ती 50x5 एम.एम. की लगाई जावें।
- खिडकी–दरवाजे लगाने से पहले रैड–ऑक्साईड पेन्ट अवश्य करें।

17. **रंग सफेदी का कार्य** –

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत भवनों के रंग–रोगन कार्य का **परिशिष्ठ**– 7,8 के अनुसार करें। निर्मित भवन पर योजना का नाम व लोगो **परिशिष्ठ–9** के अनुसार ब्लू (नीले) रंग में लिखा जावें।

18. **ब्लेक–बोर्ड** –कमरो में ब्लेक–बोर्ड 8 फीट लम्बाई व 4 फीट ऊचाई व 2 इंच बॉर्डर के साथ बनाया जावें। बोर्ड फर्श लेवल से 3 फीट ऊचाई पर बनाये।

19. **रेम्प** –

विद्यालय भवन में रेम्प की फर्श में Chequred tiles का प्रयोग करें। रेम्प का ढलान 1:12 रखा जावे व रेलिंग 1 मीटर ऊचाई की लौहे के पाईप व सरिये की आवश्यक रूप से लगाये

20. **टॉयलेट** –

टॉयलेट का निर्माण सभी विद्यालयों में छात्र–छात्राओं के अलग–अलग आवश्यक रूप से करवाया जावें। टॉयलेट का निर्माण **परिशिष्ठ–10,11,12,13** पर संलग्न नक्शे के अनुसार करावें तथा यूरीनल्स की संख्या विद्यालय में विधार्थियों की संख्या के अनुसार निर्धारित करें।

21. **बिजली की फिटिंग** –

सभी निर्माण कार्यों या बिजली की फिटिंग Conduit पाईप मे की जावें विधुत तार कही भी खुले नहीं रहें। अतिरिक्त कक्षा कक्ष/आर्ट एवं क्राफ्ट/कम्प्युटर कक्ष/विज्ञान प्रयोगशाला में 3 पंखे (1200 एम.एम. व्यास), 4 ट्यूबलाईटस तथा लाईब्रेरी में 6 पंखे (1200 एम.एम. व्यास) तथा 10 ट्यूबलाईट्स का प्रावधान रखा जावें।

परिशिष्ठ –3

विद्यालय सुदृढीकरण के कार्यो हेंतु निर्धारित वित्तीय प्रावधान :–

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान अन्तर्गत विद्यालयों मे वर्षवार विभिन्न पी.ए.बी में स्वीकृत निर्माण कार्यो हेतु वित्तीय प्रावधान निम्नानुसार हैः–

विद्यालय सुदृढीकरण कार्य (पी.ए.बी.वर्ष 2010–11)

राशि रू लाखों में

क्रं स	मद	कुल स्वीकृत राशि	सिविल कार्य हेतु राशि	कंन्टीजेन्सी राशि (3%)	गुणनियंत्रण राशि (1%)	फर्नीचर, फिक्शचर, आदि के लिये प्रावधान
1	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	5.625	4.401	0.168	0.056	1.00
2	समग्र विज्ञान प्रयोगशाला	6.10	5.356	0.183	0.061	0.50
3	प्रयोगशाला उपकरण	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	कम्प्यूटर कक्ष	5.00	4.30	0.15	0.05	0.50
5	आर्ट एवं कला कक्ष	5.00	4.80	0.15	0.05	0.00
6	पुस्तकालय कक्ष	7.00	5.72	0.21	0.07	1.00
7	शौचालय	1.00	0.96	0.03	0.01	0.00
8	पेयजल व्यवस्था	0.50	0.48	0.015	0.005	0.00

विद्यालय सुदृढीकरण कार्य (पी.ए.बी वर्ष 2011–12)

राशि रू लाखों में

क्रं स	मद	कुल स्वीकृत राशि	सिविल कार्य हेतु राशि	कंन्टीजेन्सी राशि (3%)	गुणनियंत्रण राशि (1%)	फर्नीचर, फिक्शचर, आदि के लिये प्रावधान
1	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	8.461	7.174	0.215	0.072	1.00
2	समग्र विज्ञान प्रयोगशाला	8.768	7.95	0.239	0.079	0.50
3	प्रयोगशाला उपकरण	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	कम्प्यूटर कक्ष	7.924	7.138	0.214	0.072	0.50
5	आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष	7.424	7.138	0.214	0.072	0.00
6	पुस्तकालय कक्ष	10.955	9.572	0.287	0.096	1.00
7	शौचालय	1.627	1.564	0.047	0.016	0.00
8	पेयजल व्यवस्था	0.814	0.783	0.023	0.008	0.00

विद्यालय सुदृढीकरण कार्य (पी.ए.बी वर्ष 2013–14)

राशि रू लाखों में

क्रं स	मद	कुल स्वीकृत राशि	सिविल कार्य हेतु राशि	कंन्टीजेन्सी राशि (1%)	गुणनियंत्रण राशि (1%)	फर्नीचर, फिक्शचर, आदि के लिये प्रावधान
1	अतिरिक्त कक्षा कक्ष	7.10	5.98	0.06	0.06	1.00
2	समग्र विज्ञान प्रयोगशाला	8.26	6.62	0.07	0.07	1.50
3	प्रयोगशाला उपकरण	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	कम्प्यूटर कक्ष	6.47	5.95	0.06	0.06	0.40
5	आर्ट एवं क्राफ्ट कक्ष	6.47	5.95	0.06	0.06	0.40
6	पुस्तकालय कक्ष	8.39	7.98	0.08	0.08	0.25

परिशिष्ट–4

शिड्यूल ऑफ पॉवर

SCHEDULE OF POWERS FOR ENGINEERING WING OF RCSE (W.E.F. 27/06/2013)

SECTION - II

S. N.	Subject	Chairman SDMC	AEN (Field)	DPC	Senior most Engineer of RCSE	SPD	Remarks
1	Prescribe/ Specify activities chargeable to QC/ Contingencies					Full Powers	Activates should be related to works
2	Incurre/ Sanction expenditure against contingencies and QC	2.5% of Contingency/ QC Provisions	5.00% of Contingency/ QC Provisions	15.00% of Contingency/ QC Provisions	2.5% of Contingency/ QC Provisions	Full Powers	Expenditure upto Rs 3000/- at a time can be incurred in cash.
3	Incurre/ Sanction expenditure against savings				Full Powers		Within school for RMSA works and within scheme for Girls Hostel and Model schools
4	Administrative sanction					Full Powers	On receipt of approval from GOI.
5	Technical sanction of estimates		Full powers upto Rs 30.00 lacs for new/ Original works.		Full Powers above Rs 30.00 lacs		Upto Administrative Sanction
6	Financial Sanction					Full Powers	On receipt of 1st installment from GOI.

S. No.	Subject	Chair man SDMC	AEN (Field)	DPC	District Level committee (DPC,ADPC, AEn & Senior Most Accounts Personal of district RMSA office)	Senior most Engineer of RCSE	SPD	Remarks
7	Floating/ Publication of tenders	-	-	Full Powers for tenders upto Rs 30.00 lacs	-	-	Full Powers	On DIPR/ DAVP Rates
8	Approval/ Rejection of tender		-	-	Upto 10% above on prevailing District BSR Rates for works upto Rs. 30.00 Lacs	Upto 20 % Above prevailing District BSR Rates	Full power more than 20% above on Prevailing District BSR	On the basis of rates prevailing in major engineering departments of the districts
9	Approval/ Rejection of single tenders					Upto 20 % Above prevailing BSR Rates of District	Full power more than 20% above on Prevailing BSR of Districts	On the basis of rates prevailing in major engineering departments of the districts
10	conduction of Negotiation	-	-	-	Full Powers upto the powers of sanctioning the tender	Full Powers upto the powers of sanction the tender	Full powers	Negotiation can be conducted only by tender receiving and tender approving authority with lowest tenderer only
11	Conduction of Counter offer	-	-	-	Within financial Power of Tender approval	Within financial Power Tender of approval	Full powers	Counter offer can only be issued by tender approving authority

S. No.	Subject	Chairman SDMC	AEN (Field)	DPC	Senior most Engineer of RCSE	SPD	Remarks
12	Extension of validity of tenders				Beyond original validity of 90 days upto 150 days	Full powers on application of contractor after 150 days	Powers of original validity of 90 days shall rest with corresponding tenders sanctioning authorities
13	Prescribe special conditions of contract				Full Powers		Conditions should not result in financial loss to govt.
14	Sign Agreement issue work/ supply order and execute agreement	Full powers in respect of school level and RMSA works		Full powers with respect to girls hostel & model school works		Full powers	Power to be exercised in consultation with accounts wing.
15	Sanctioning of extra items		Full powers upto works costing Rs 30.00 lacs		Full powers		Against savings of same work in such a manner that overall expenditure should not exceed financial sanction.
16	Sanctioning of deviation statement		Full powers upto works costing Rs 30.00 lacs		Full powers		Exercise of power should not result in net excess more than Financial Sanction
17	Issue provisional time extensions	Full powers upto the power to sign the agreement		Full powers upto the power to sign the agreement		Full powers upto the power to sign the agreement	

S. No.	Subject	Chairman SDMC	AEN (Field)	DPC	Senior most Engineer of RCSE	SPD	Remarks
18	Sanction final time extensions		Upto 50% time period of original time of execution for works costing upto Rs 30.00 lacs		Full powers with compensation	Full powers without compensation	Compensation should be imposed in such a manner that it does not result in claim of price escalation
19	Sanction payment of price escalation					Full powers	With approval of EC
20	Issuance of completion certificates		Full powers upto works costing upto Rs 30.00 lacs		Full power		Final bill can only be paid after receiving completion certificate
21	Sanction Non BSR items				Full powers		on the basis of lowest current market rates. Certificates of AEn for lowest market rate required
22	Termination/ Recession of contract under clause 2&3	Full powers in respect of school level or RMSA works		Full powers in respect of Girls hostels and model school works		Full powers	

S. No.	Subject	Chairman SDMC	AEN (Field)	DPC	Senior most Engineer of RCSE	SPD	Remarks
23	Withdrawal of contract under clause-32				Full powers for works costing upto Rs. 30.00 Lacs	Full powers	Subjected to recommendation of DPC for works costing upto Rs 30.00 lacs and for works costing more than Rs. 30.00 lacs recommendation of Senior most engineer of RCSE is required
24	Accord sanction for execution of remaining/ leftup work to any registered contractor without calling tenders on original rates after termination of contract under clause 2&3 or 32	Full powers upto the powers of sanctioning tender.		Full powers upto the powers of sanctioning tender.		Full powers	Detailed justification is to be given for exercising powers specified in relevant clause of agreement

Note :-

Power having financial implications shall be exercised in consultation with senior most accounts personnel of respective office.

अतिरिक्त कक्षा कक्ष, कम्प्युटर कक्ष, कला/क्राफ्ट/कल्चर कक्ष, समग्र विज्ञान प्रयोगशाला के लिए ड्राइंग प्लान का नमूना : –

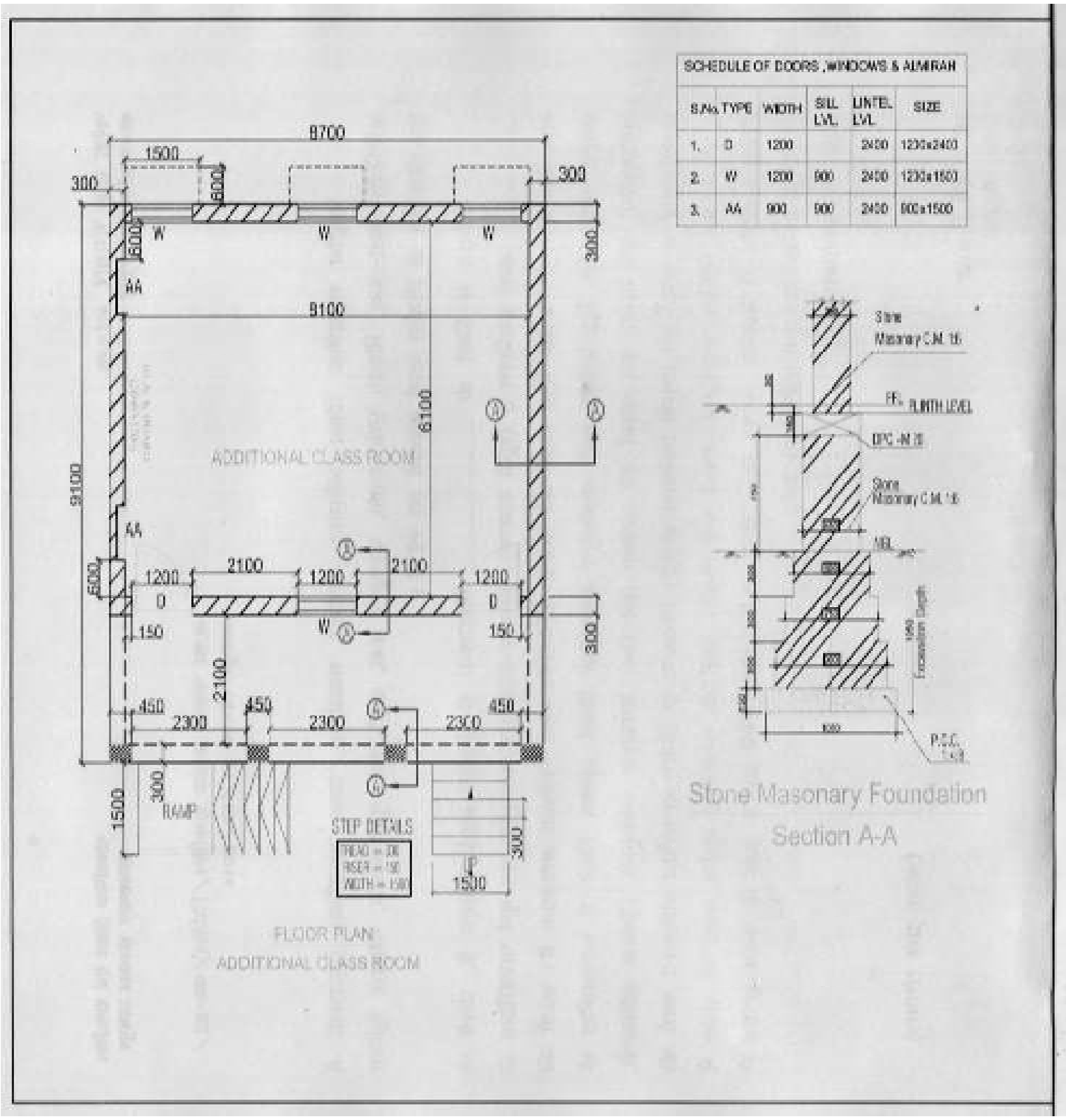

नोट :– कमरे का आन्तरिक क्षेत्रफल 49 वर्गमीटर रखते हुए माप का निर्धारण मौके स्थिति के अनुसार परिवर्तनीय है।

परिशिष्ठ–6

पुस्तकालय कक्ष के लिए ड्राइंग प्लान का नमूना : –

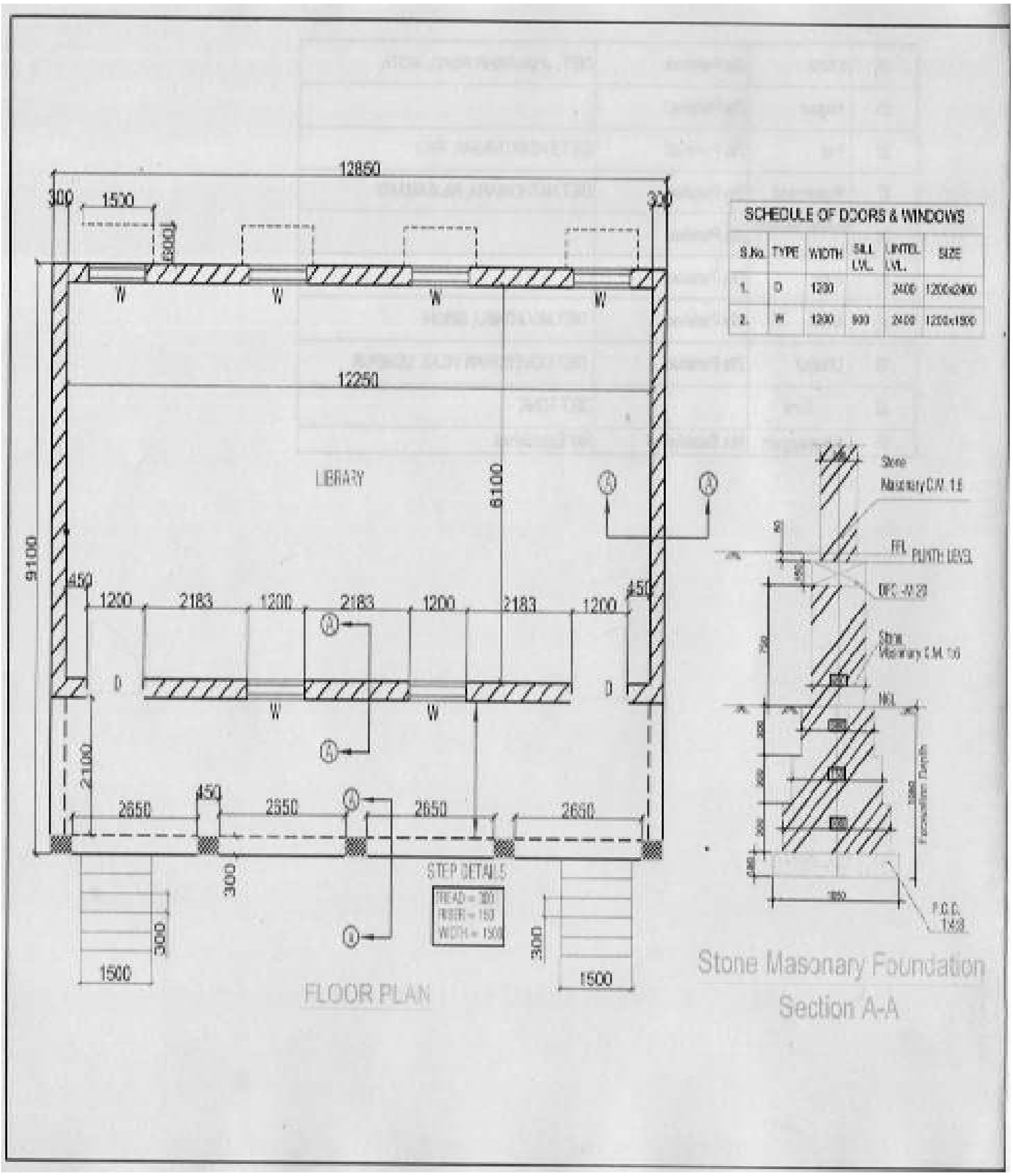

नोट :– पुस्तकालय का आन्तरिक क्षेत्रफल 74.20 वर्ग मीटर रखते हुए माप का निर्धारण मौके स्थिति के अनुसार परिवर्तनीय है।

परिशिष्ठ–7

कलर स्कीम का विवरण

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान योजनान्तर्गत विद्यालयों में निर्मित किये जा रहे भवनों के रंग–रोगन परिपत्र क्रमांक RCSE/Civil/SF-64/2012 दिनांक 15-10-2014 द्वारा निर्धारित किये गये है, विवरण निम्नानुसार है :–

1.	Ceilings inside building	: White
2.	Inside walls	: Beacon 3109/L-124 or equivalent [Ref. Asian paints]
3.	Window/Door shutters & frames	: Regency Grey 770 or equivalent [Ref. Berger]
4.	Window/Ventilator wire mesh	: Oxford Blue 166 or equivalent [Ref. Berger]
5.	Outside walls	: As per the scheme details and drawing. [परिशिष्ठ-8]
6.	Logo and name of scheme	: Blue color. Pattern and details are as per परिशिष्ठ -9.

परिशिष्ट-8

बाहरी कलर स्कीम

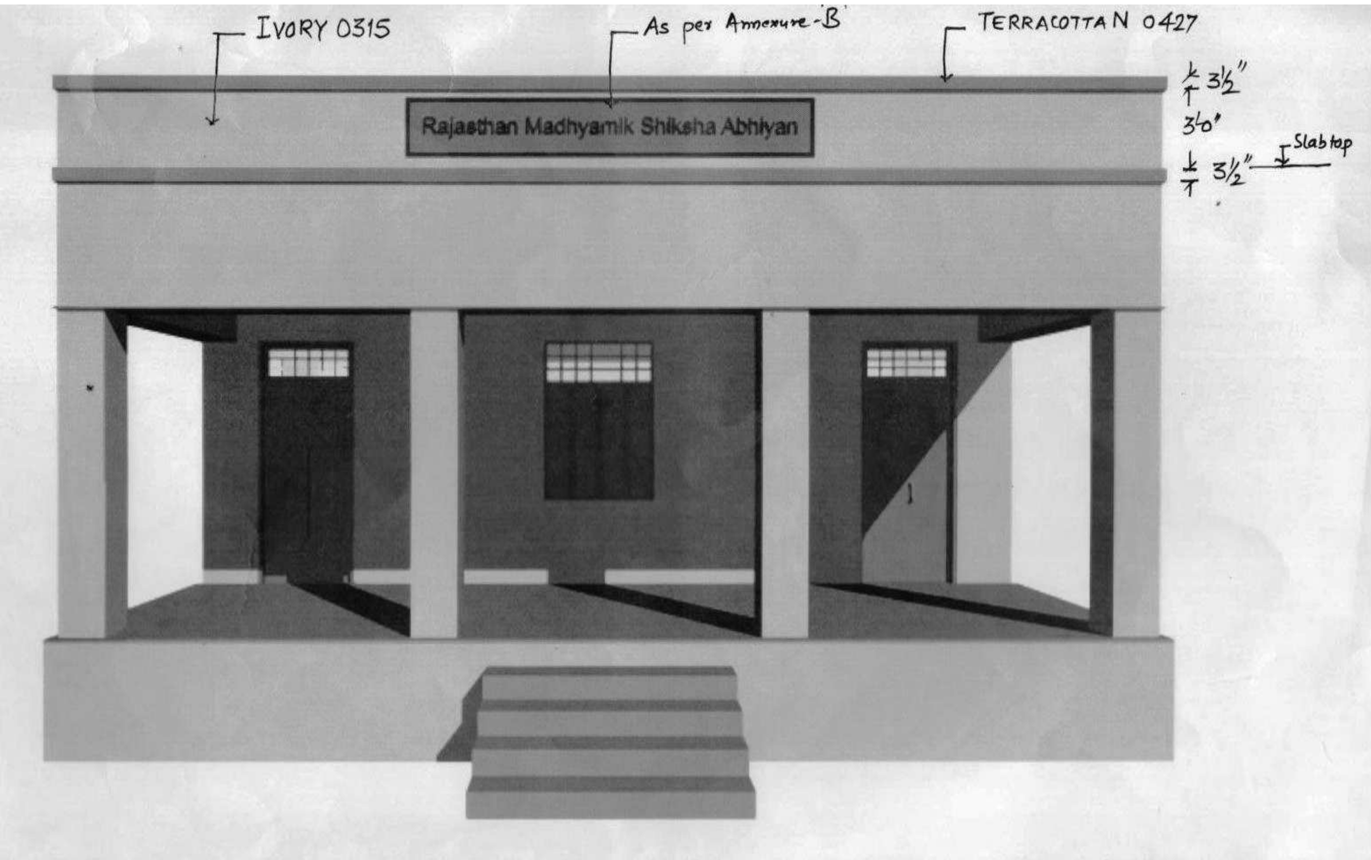

परिशिष्ठ–9

भवनों पर लिखे जाने वाले लॉगो व योजना के नाम का प्रारूप

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान

अन्तर्गत निर्मित

- लॉगो एवं योजना का नाम – नीले रंग में

बालकों के लिए शौचालय की ड्रांइग

(यूरिनल की संख्या का निर्धारण बालकों की संख्या के आधार पर करें)

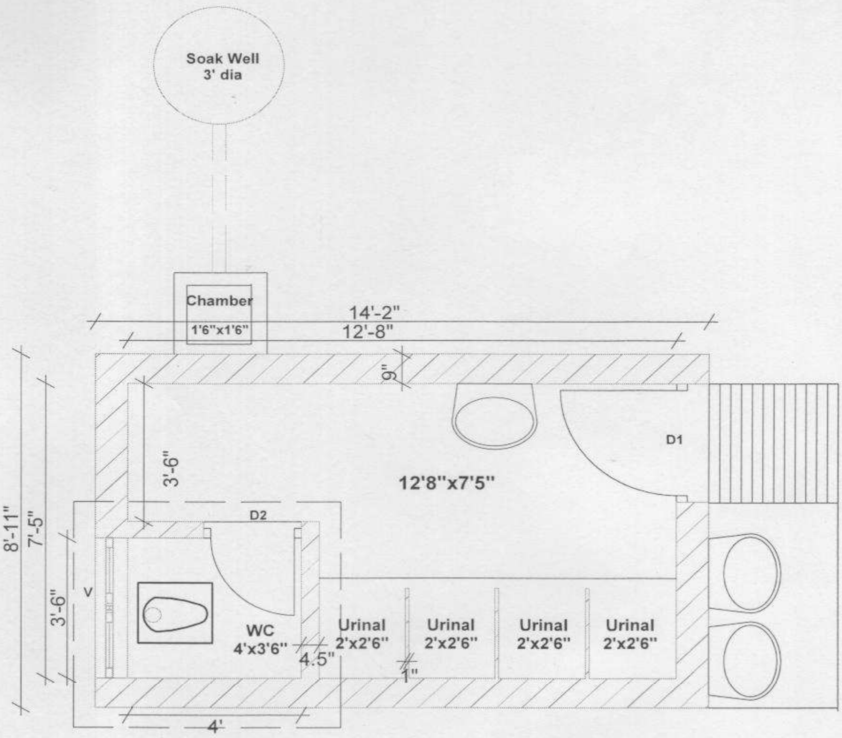

Details	Width	Hight	Sill Hight	Lintel Hight
Door D1	3'0"	7'0"	-	7'0"
Door D2	2'6"	7'0"	-	7'0"
Vent. V	2'9"	1'6"	7'0"	8'6"
Area	126.32 sqft			

परिशिष्ठ–11

बालक शौचालय का त्रि–विमीय चित्र

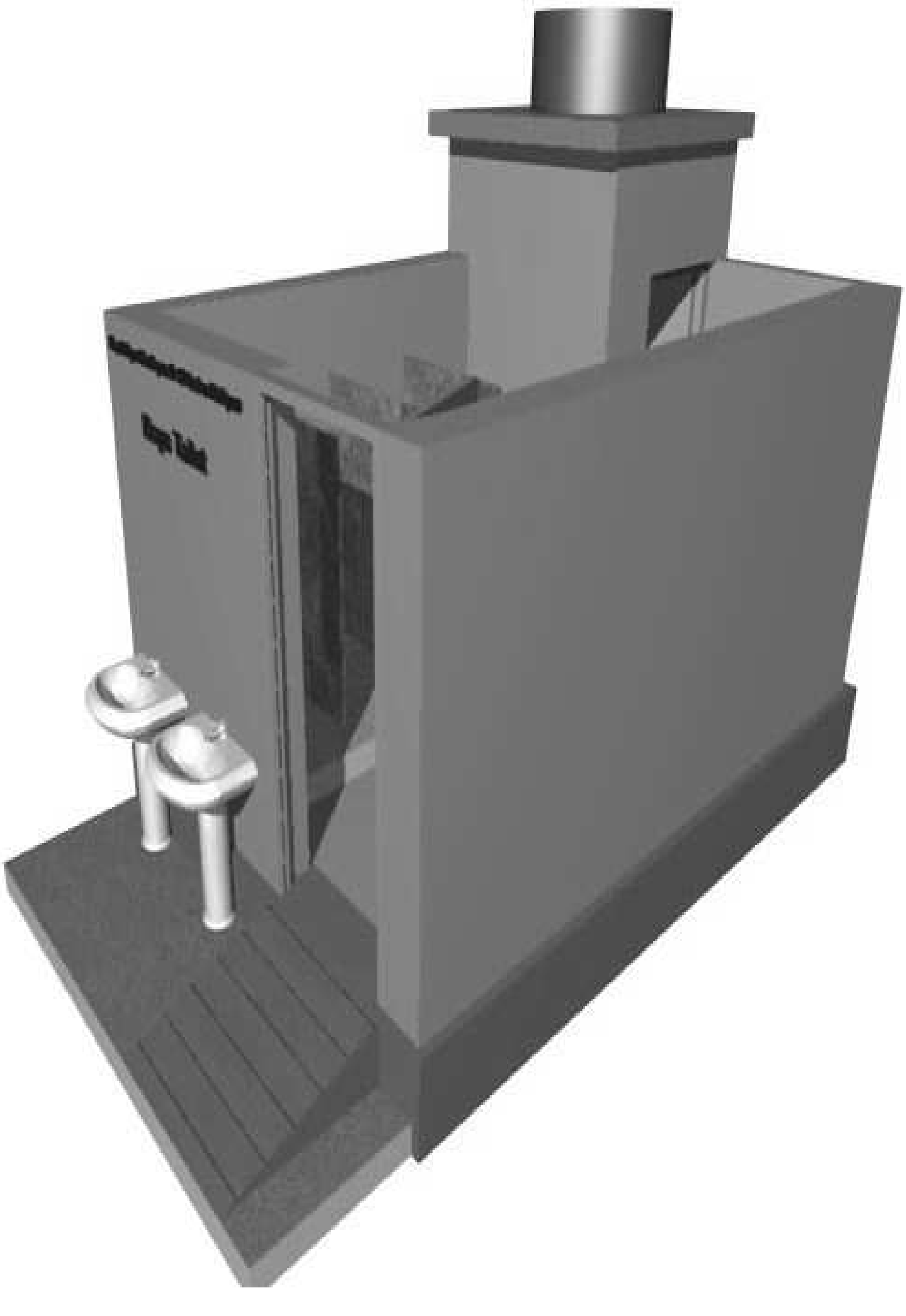

बालिका शौचालय की ड्राइंग

(यूरिनल की संख्या का निर्धारण बालिकाओं की संख्या के आधार पर करें)

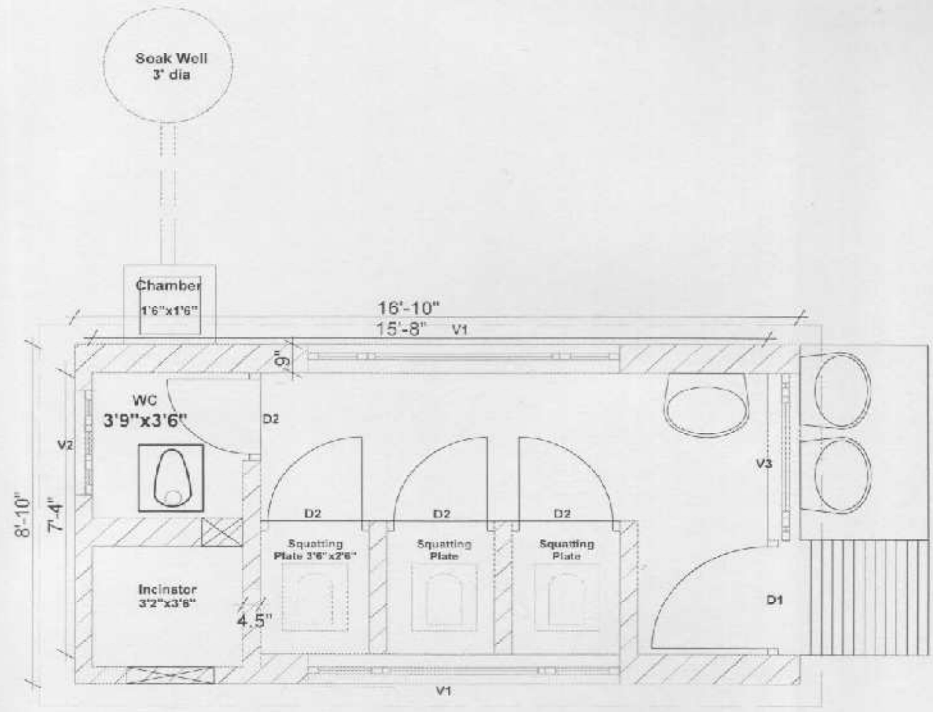

Details	Width	Hight	Sill Hight	Lintel Hight
Door D1	3'0"	7'0"	-	7'0"
Door D2	2'6"	7'0"	-	7'0"
Vent. V1	7'0"	1'6"	7'0"	8'6"
Vent. V2	2'9"	1'6"	7'0"	8'6"
Vent. V3	7'4"	1'6"	7'0"	8'6"
Area	148.69 sqft			

बालिका शौचालय का त्रि–विमीय चित्र

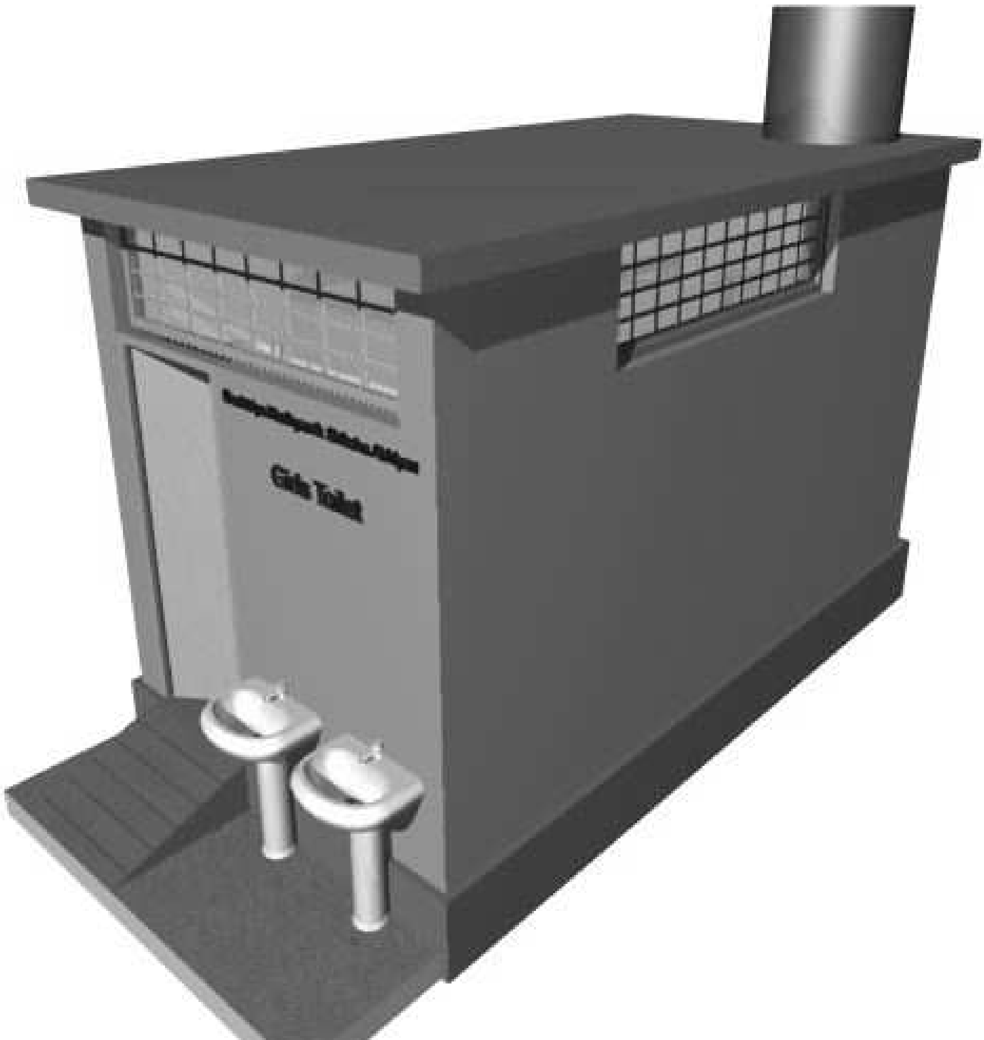

परिशिष्ठ–14

उपयोगिता प्रमाण–पत्र

1.	कार्य का नाम	:–	
2.	योजना का नाम	:–	राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (वर्ष ....)
3.	प्रशासनिक स्वीकृति क्रमांक / दिनांक	:–	
4.	तकनीकी स्वीकृति क्रमांक / दिनांक	:–	
5.	वित्तीय स्वीकृति क्रमांक / दिनांक	:–	
6.	कार्यादेश क्रमांक / दिनांक	:–	
7.	विद्यालय को प्राप्त राशि	:–	
8.	माप पुस्तिका नम्बर एंव पेज नम्बर (जिसमें कार्य का मुल्यांकन किया गया)	:–	
9.	मुल्यांकन राशि	:–	
10.	व्यय राशि	:–	
11.	शेष राशि	:–	

प्रमाणित किया जाता है कि कार्य की गुणवक्ता संतोषप्रद है एवं विद्यालय को प्राप्त राशि में से उपरोक्तानुसार राशि का उपयोग नियमानुसार कर विद्यालय स्तर पर समस्त रिकॉर्ड का संधारण कर लिया गया है।

6 इंच X 4 इंच साईज के प्रमाणित फोटो संलग्न करें।

प्रधानाध्यापक / प्रधानाचार्य